इंजीनियरिंग कॉलेजों में 'तुगलकी फरमान' पर लगेगी पाबंदी

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ

एकेटीयू का निर्देश

- बिना जांच के शिक्षकों पर की कार्रवाई तो नपेंगे जिम्मेदार
- प्रबंधतंत्र की तानाशाही व शिक्षकों के हित के लिए जारी किए आदेश

प्रोफेशनल कॉलेजों में शिक्षकों पर 'तुगलकी फरमान' जारी होने पर पाबंदी लगेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को चेताते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश में शिक्षकों को बिना कोई कारण बताए मनमाने तरीके से उनकी सेवाएं समाप्त करने वाले कॉलेजों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। विश्वविद्यालय के इस आदेश से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं कॉलेजों के मनमाने प्रबंधतंत्र पर अंकुश लग सकेगा।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों के शिक्षकों से विश्वविद्यालय को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बिना कोई कारण बताए उनपर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं मनमाने तरीके से शिक्षकों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव अथवा अल्प समय का नोटिस देकर समाप्त की जा रही हैं। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन की कार्रवाई से आहत शिक्षकों को न्याय के लिए विश्वविद्यालय व न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अधिकतर निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के दौरान मामले से विश्वविद्यालय को नहीं अवगत कराया जाता। और कॉलेज स्तर पर मनमाने तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

कॉलेजों की मनमानी का शिकार शिक्षकों को इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस संदर्भ में कॉलेजों को कड़ा आदेश जारी किया है। एकेटीयू के आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शिक्षकों को अकारण सेवामुक्त न किया जाए। यदि कोई शिक्षक अध्यापन कार्य में रुचि नहीं रखता अथवा विभागीय कार्यों में सहयोग नहीं करता है तो ऐसे शिक्षक को लिखित चेतावनी जारी की जाए। उसके बावजूद शिक्षक के कार्यकलापों में यदि वांछित सुधार नहीं होता है तो कॉलेज प्रबंधतंत्र को जांच कमेटी गठित कर शिक्षक को चार्जशीट देनी चाहिए। साथ ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षक को कार्यमुक्त करते समय कॉलेज को जांच समिति की संस्तुति एवं अन्य सभी तथ्यों व साक्ष्यों की एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी। विश्वविद्यालय ने आदेशों का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित कॉलेजों की संबद्धता समाप्त किए जाने की भी चेतावनी दी है। बहरहाल शिक्षक हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कड़े कदम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में 'तुगलकी फरमान' पर पाबंदी लगनी तय है।

क्या कहते हैं कुलपति : प्रो.विनय कुमार पाठक ने बताया कि शिक्षकों पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने के कई मामले विश्वविद्यालय को मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षक हित में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का अनुपालन न करने वाले कॉलेजों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।